Promoter's Rera Reg. No.: UPRERAPRM5538

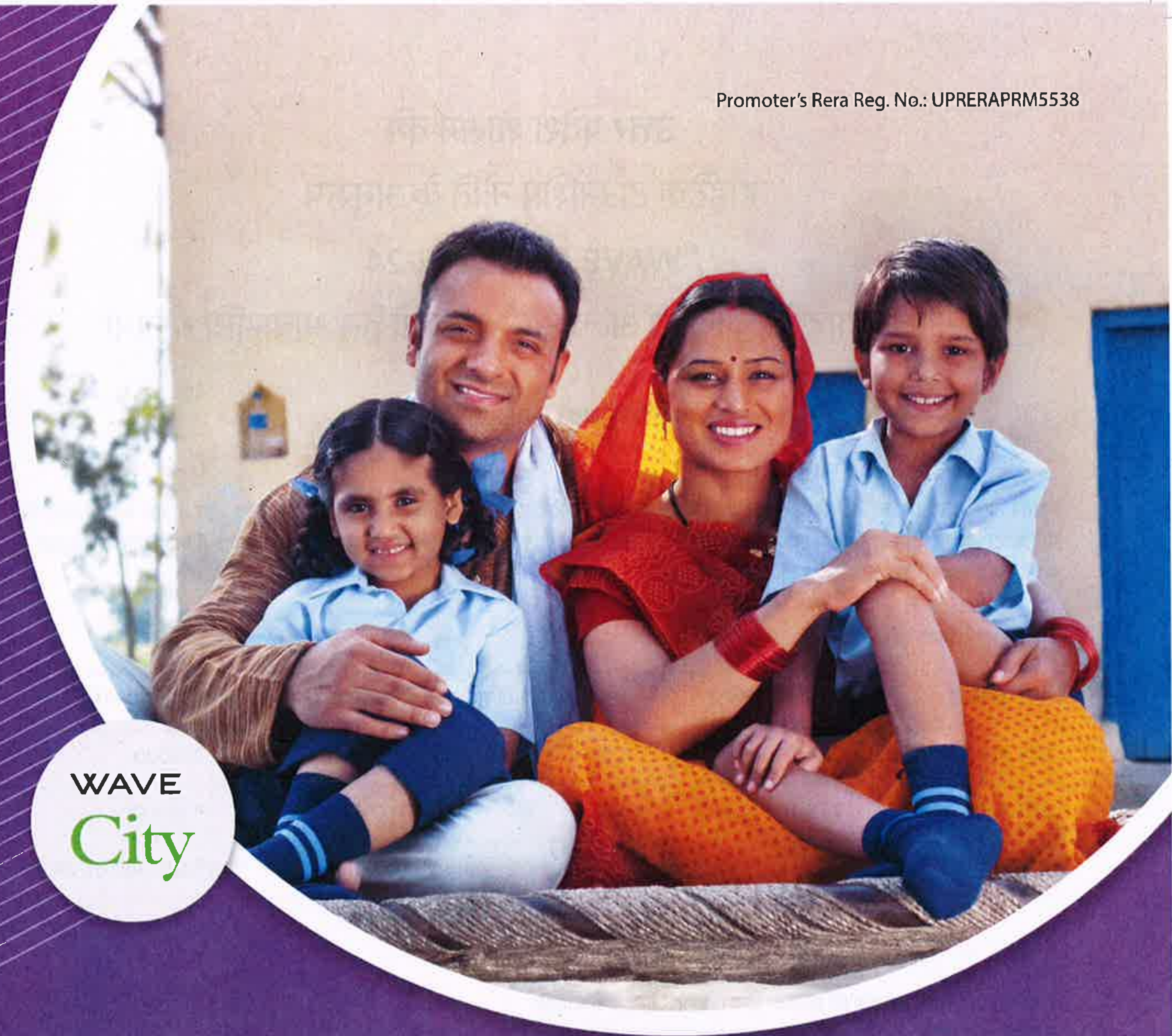

WAVE
City

उत्तर प्रदेश शासन की

हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन दुर्बल एवं अल्प आय परिवारों हेतु आवासीय योजना

- इस योजना के अन्तर्गत विकसित होने वाली आवासीय इकाइयाँ "WAVE CITY" NH-24 में स्थित हैं
- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इकाइयाँ
- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ड्रा सिस्टम से आंवटन

EWS इकाई
₹5.15 Lac*

LIG इकाई
₹11.09 Lac*

उत्तर प्रदेश शासन की
हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुरूप
"WAVE CITY" NH-24
गाजियाबाद में दुर्बल एवं अल्प आय परिवारों हेतु आवासीय योजना

RERA रजिस्ट्रेशन UPRERAPRJ14749

आपका विकास समाज का विकास है, समाज का विकास इस देश का विकास है। आपके विकास हेतु हम गाजियाबाद शहर में उत्तर प्रदेश शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुरूप एक नवीन आवासीय योजना लाये हैं। इस योजना के अंतर्गत आप पायेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इकाइयाँ। जिनका आवंटन ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका इस योजना का संक्षिप्त विवरण है:

भवन के प्रकार	क्षेत्रफल (वर्गमी0)	उपलब्ध भवनों की संख्या	बेसिक विक्रय मूल्य	पंजीकरण राशि
दुर्बल आय वर्ग (EWS)	25.00	432	₹5.15* लाख	₹15000
अल्प आय वर्ग (LIG)	35.00	432	₹11.09* लाख	₹25000
				*प्रभावी GST अतिरिक्त देय होगा।

अर्हता :

1. अल्प आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03-06 लाख होनी चाहिये।
2. दुर्बल आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख तक होनी चाहिये।
3. आवेदक को आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. विवरण पुस्तिका में संलग्न घोषणा पत्र में प्रारूप के अनुसार एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन :

योजना का आवेदन पत्र ब्रोशर में दिए गए बैंको की शाखाओं या मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि 0 के कार्यालय से ₹500/- का भुगतान कर खरीदा जा सकता है। विधिवत् रूप से भरा हुआ हस्ताक्षित आवेदन पत्र एवं पंजीकरण राशि, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार होगी, ब्रोशर में दर्शाये गए बैंको की शाखाओं में जमा कराएं।

FLOOR PLAN- EWS

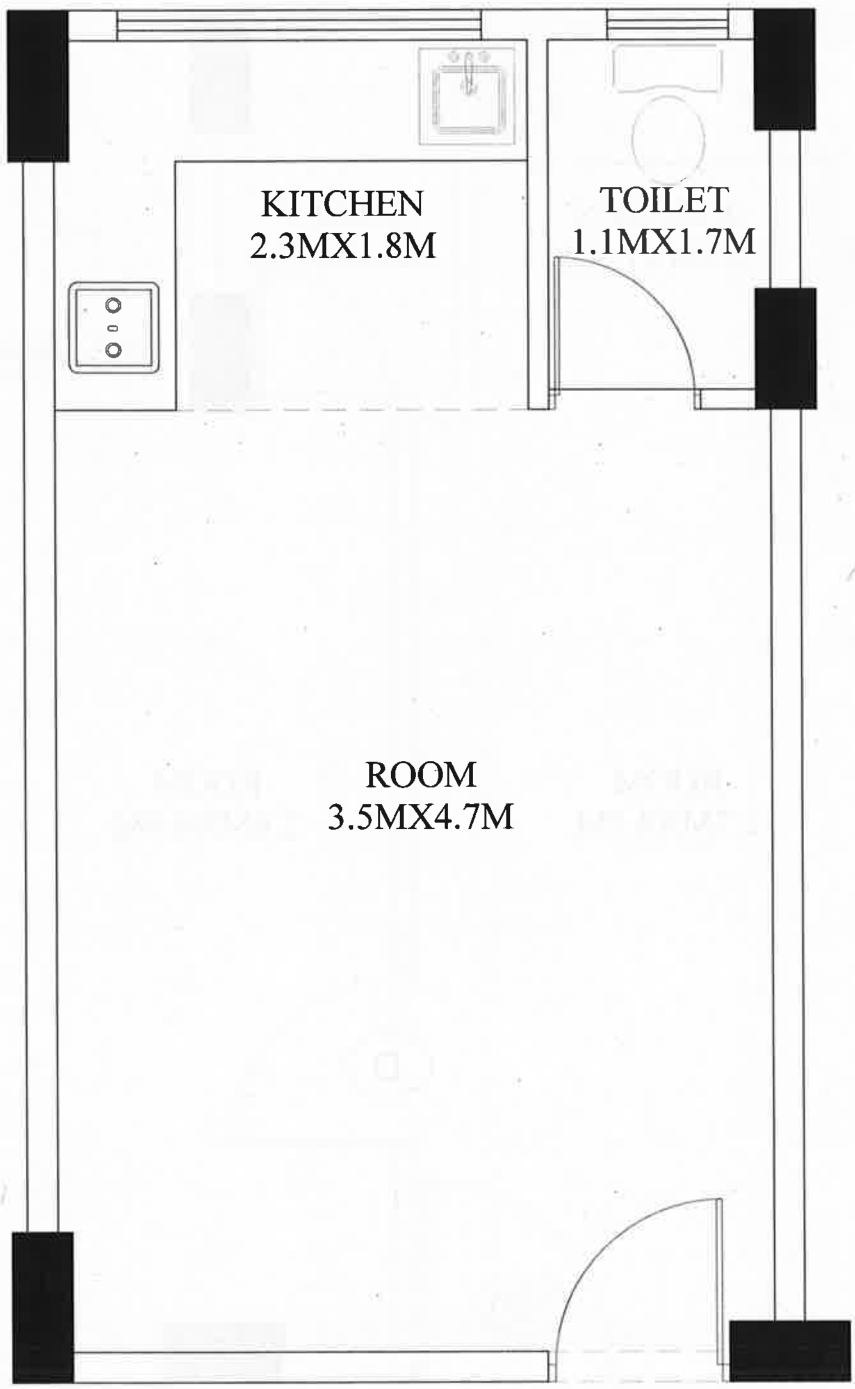

EWS Unit Plan

Carpet Area= 22.79 Sq.m.
Built Up Area= 25 Sq.m.

Disclaimer: 1 Sq.m. = 10.764 Sq.ft. This is an artistic impression, layout and size may vary as per unit location.

FLOOR PLAN- LIG

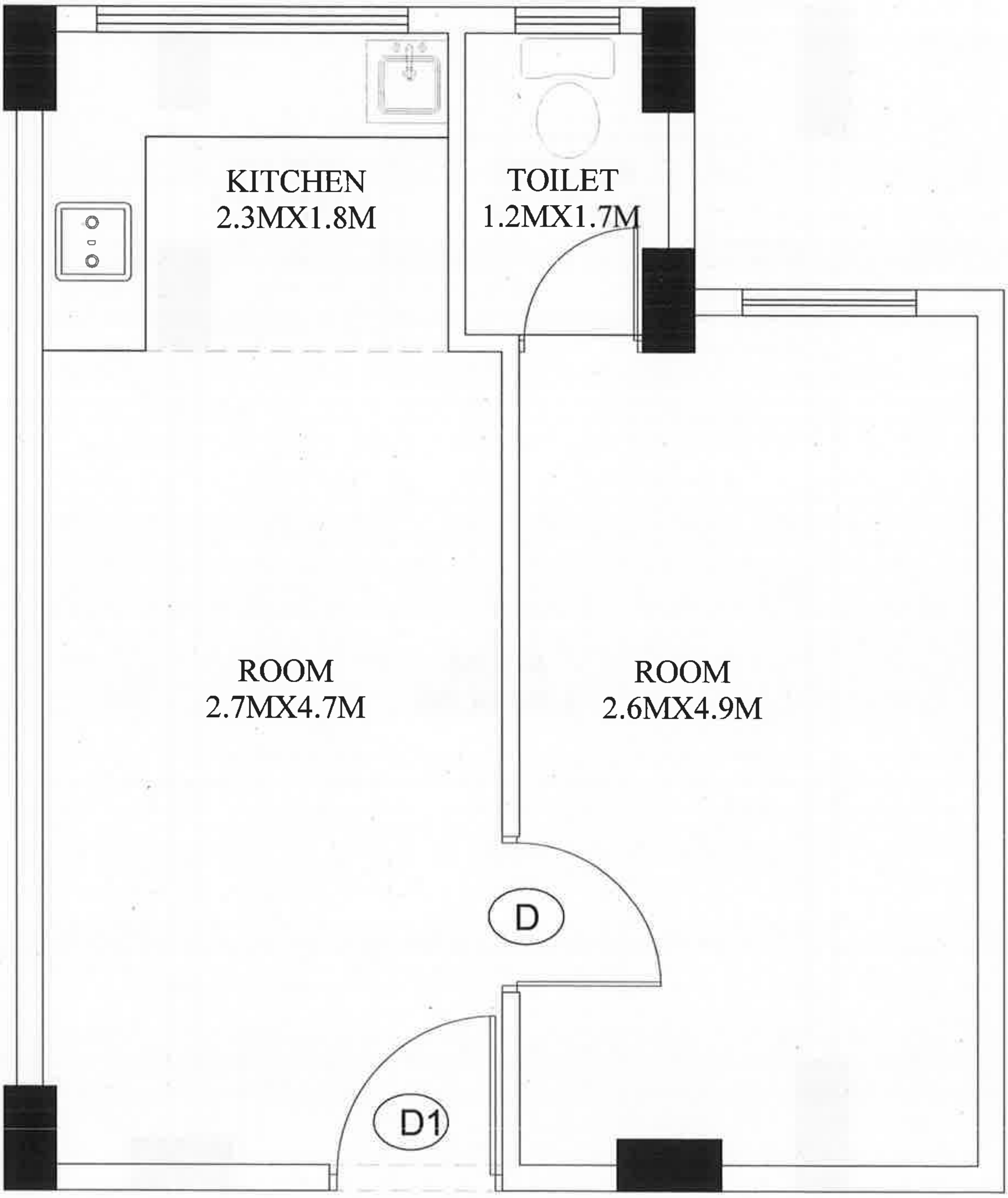

LIG Unit Plan

Carpet Area= 31.45 Sq.m.
Built Up Area= 35 Sq.m.

Disclaimer: 1 Sq.m. = 10.764 Sq.ft. This is an artistic impression, layout and size may vary as per unit location.

SPECIFICATIONS

S.No.	Particulars	Description
1.	Flooring	CC Flooring in rooms, kitchen toilets and common area corridor
2.	Wall finishes	OBD in rooms, corridor and kitchen. 5' high cement screeding & OBD in toilet
3.	Ceiling finishes	White wash
4.	Kitchen	RCC finish kitchen platform, SS sink with single bowl & standard PVC-tap
5.	Toilet	Floor mounted WC with exposed PVC cistern & PVC tap. Wash basin with PVC pillar cock. Standard PVC tap for bathing
6.	Door window	All internal & external doors - MS frame with skin/flush door. All window/ventilator - MS frame with glass panels
7.	Exterior finish	Plaster & external weather proof paint

योजना का विवरण

1.0 योजना का नाम :

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन विकसित हो रही "WAVE CITY" में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण।

2.0 स्थिति :

उक्त भवन प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकसित हो रही "WAVE CITY" में है जो कि "रेरा" के प्रावधानों के अन्तर्गत है।

2.1 भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल, संख्या एवं मूल्य :

भवन के प्रकार	क्षेत्रफल(वर्गमी0)	उपलब्ध भवनों की संख्या	बेसिक विक्रय मूल्य
दुर्बल आय वर्ग (EWS)	25.00	432	₹5.15* लाख
अल्प आय वर्ग (LIG)	35.00	432	₹11.09* लाख
			*प्रभावी GST अतिरिक्त देय होगा।

2.2 पंजीकरण धनराशि :

भवन के प्रकार	पंजीकरण धनराशि
दुर्बल आय वर्ग (EWS)	₹15000
अल्प आय वर्ग (LIG)	₹25000

3.0 ग्राहता :

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक वयस्क हो।

3.3 जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण करवाया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा।

3.4 अल्प आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03-06 लाख होनी चाहिये।

3.5 दुर्बल आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख तक होनी चाहिये।

3.6 आवेदक को आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जो कि अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

3.7 विवरण पुस्तिका में संलग्न घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.0 आवेदन कैसे करें :

4.1 इच्छुक आवेदक ₹500/- का भुगतान कर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं से या मेसर्स उप्पल चड्डा हाई टेक डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय से ब्रोशर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रोशर में संलग्न आवेदन पत्र को आवश्यक जानकारी भरकर दिए गये बैंकों की शाखाओं में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त आवेदन पत्र अपूर्ण माना जायेगा एवं ड्रॉ में शामिल नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र/विवरण पुस्तिका नियम व शर्तों सहित दिनांक **22/01/2018** से **28/02/2018** तक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की निम्नलिखित शाखाओं से या मेसर्स उप्पल चड्डा हाई टेक डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय ₹500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत् रूप से भरा हुआ हस्ताक्षित आवेदन पत्र एवं पंजीकरण राशि, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार होगी, के साथ निम्न स्थानों पर जमा किये जाएंगे।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाएं :

नोएडा :	बी-138, सेक्टर-2, निरूलास के पीछे, गौतमबुद्ध नगर-201301, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
हापुड मेन :	पीओ0 नं0-15, हापुड़ मण्डी, बुलन्दशहर रोड, पंचशील नगर-245101, जिला-हापुड, उ0प्र0।
बुलन्दशहर :	सिविल लाइन्स बुलन्दशहर, जिला-बुलन्दशहर-203001, उ0प्र0।
गाजियाबाद :	नवयुग मार्केट, गाजियाबाद-201001, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0।
मुरादनगर :	मुरादनगर, गाजियाबाद-201206, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0।
सहारनपुर :	कोर्ट रोड, सहारनपुर-247001, जिला-सहारनपुर, उ0प्र0।
सिकन्द्रबाद :	रेलवे रोड, सिकन्द्राबाद-203205, जिला-बुलन्दशहर, उ0प्र0।
दादरी :	जी0टी0 रोड दादरी-203207, गौतमबुद्ध नगर, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
अलीगढ :	समद रोड, अलीगढ-202001, जिला-अलीगढ, उ0प्र0।
मेरठ :	मेरठ केन्ट, मेन ब्रांच, रूडकी रोड, मेरठ-250001, जिला-मेरठ, उ0प्र0।
मथुरा :	जंक्शन रोड, मथुरा-281001, जिला-मथुरा, उ0प्र0।

ओरियन्टल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाएं :

नोएडा :	वी-22बी, भोजा मार्केट, वीरावती पैलेस, विनायक अस्पताल के पास, सेक्टर-27, नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0। एच-1/ए-7, सेक्टर-63, नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
ग्रेटरनोएडा :	शॉप नं0-12, गामा शापिंग काम्पलेक्स, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0। शॉप नं0-228, द्वितीय मंजिल, गौर सिटी 1, ग्रेटर नोएडा-201301, उ0प्र0।
दिल्ली :	प्लाट नं0-17, ब्लॉक बी, एलएससी, मयूर विहार-110092, दिल्ली। सीएससी-1, डीडीए मार्केट, सीएचबीएस, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092

गाजियाबाद : जी0ए0-1, ब्लैक गोल्ड क्रीस्ट, सी/जीएच/3, वैभव खण्ड-201010, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0।
ई0सी0, आर्यन पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4, वैशाली-201010, गाजियाबाद, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0।
रतन मार्केट, अंबर सिनेमा के पीछे-201204, मोदी नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0।
111-डी, 9, नेहरू नगर, नासिरपुर, गाजियाबाद-201002, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0।

4.2 अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे। एवं किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र की राशि ₹500/- वापिस नहीं की जायेगी।

4.3 आवेदक को आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना आवश्यक होगा।

5.0 आवंटन प्रक्रिया :

5.1 आवंटन धनराशिः
ड्रा के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवंटन पत्र में उल्लिखित खातें के पक्ष में जमा कराना होगा।

5.2 किश्तें :
आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त शेष 80 प्रतिशत धनराशि 3 वर्षो तक कन्सट्रक्शन लिंक प्लान में 12 त्रैमासिक किश्तों में 10 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा। ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। शेष धनराशि जमा कराने का स्थान/समय आवंटन-पत्र द्वारा अवगत कराया जायेगा। आवंटन की तारीख से किश्तों का निर्धारण होगा।

5.3 आवंटन राशि/किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद एक मास की अनुग्रह अवधि दी जायेगी। लेकिन यदि देय तिथि को किश्त की किसी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जायेगी।

5.4 आवंटियों के केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत (पात्र होने की स्थिति में) बैंक ऋण प्राप्त कराने में मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6.0 दण्ड ब्याज :

6.1 यदि मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो दण्ड ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। तीन महीने की अवधि में भुगतान ना करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.0 समर्पण/निरस्तीकरण :

7.1 किसी भी परिस्थिति में ड्रा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापिस किये जाने का प्रावधान नहीं है। ड्रा होने के बाद बच गए आवेदकों की पंजीकरण धनराशि कंपनी में दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर वापिस की जायेगी।

7.2 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटन भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

7.3 यदि नियम व शर्तों का उल्लंघन के आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है, तो पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

7.4 आवेदन तिथि से 6 माह के पश्चात् किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में भवन की कुल कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

7.5 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो ₹1000/- प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष कास्ट इंडेक्स के आधार पर बढोतरी की जाती रहेगी एवं 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं धारा 8.40 के अनुसार कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

7.6 भुगतान विवरण के अनुसार 3 त्रैमासिक किश्तें अदा ना करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 को होगा।

8.0 आय कोड :

दुर्बल आय वर्ग हेतू आय सीमा रूपये 25000 प्रति माह एवं अल्प आय वर्ग हेतु 25001 से 50000 प्रति माह तक है।

9.0 कोटा :

9.1 निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। जो नीचे दिये गये प्रतिशत के अनुसार होगी।

क्रम संख्या	वर्ग	कोटा कोड	कोटा
1.	अनुसूचित जाति	02	21%
2.	अनुसूचित जनजाति	03	2%
3.	अन्य पिछडा वर्ग	04	27%
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी आयु 50 वर्ष से अधिक हो		
(क)	रक्षा कार्मिक	05	5%
(ख)	सरकारी कर्मचारी	06	5%
5. (क)	स्वतन्त्रता सेनानी	08	5%
(ख)	संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	09	5%
6. (क)	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10	
(ख)	सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	2%
(ग)	उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी	12	2%
(घ)	उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी	13	2%
(ड)	उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	2%
(च)	उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15	2%
(छ)	आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 के वे कर्मचारी सम्मिलित होगें जिन्होंने कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)		
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	16	1%

नोटः आरक्षण का दावा करने वाले आवेदको की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10.0 क्षैतिज आरक्षण :

10.1 विकलांग आवेदको को कुल घोषित भवनों की संख्या का 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा अतः विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। विकलांग कोड 01 है।

10.2 वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना एवं आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा कोड भरना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य है कि योजना के प्रारम्भ होने की तिथि से वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष होनी चाहिये। वरिष्ठ नागरिक कोड 02 है।

10.3 विकलांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा मे आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और ड्रा में सम्मिलित नही किया जायेगा।

10.4 यदि आरक्षित श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध नहीं होते है तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

11.0 ड्रा प्रक्रिया :

11.1 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में योजना ड्रा सिस्टम से आवंटन नियमानुसार किया जायेगा। ड्रा की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। योजना का ड्रा लगभग 04 माह में सम्भावित होगी। आवेदकों की सूची प्राधिकरण स्तर पर जांच के बाद बनायी जायेगी।

11.2 इस प्रक्रिया से 50 आवेदकों की प्रतिक्षा सूची भी बनाई जायेगी जिनको आवंटन के बाद असफल आवेदकों की जगह आवंटन किया जा सकेगा।

12.0 असफल आवेदक :

12.1. जिन आवदेकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। आवेदक पत्र में अपना खाता संख्या व IFSC कोड एवं बैंक का नाम अवश्य भरें। रिफंड की स्थिति में इसी खाता संख्या का उपयोग होगा।

12.2 असफल आवदेकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी ड्रा निकालने के एक माह पश्चात् प्रारम्भ की जायेगी। प्रतीक्षा सूची में नामित आवेदकों की पंजीकरण राशि एक वर्ष बाद बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

12.3 पंजीकरण धनराशि की वापसी सीधे आवेदक के खाते में जमा करायी जायेगी। इस विषय में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

13.0 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना :

13.1 यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाऐं दी गई है अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14.0 विक्रय विलेख :

14.1 भवनों का आवंटन 90 वर्ष के लीज होल्ड के आधार पर किया जायेगा। विक्रय विलेख का निष्पादन सम्बन्धित मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु आने वाले व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। आवंटन की तिथि से 05 वर्षो अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद मे हो, से आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहेगा।

15.0 पोजेशन :

15.1 इस योजना में भवन का कब्जा निर्धारित मूल्य का 100 प्रतिशत धनराशि एवं अनुबन्ध विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी को समय-समय पर लागू हाने वाले समस्त रखरखाव शुल्क संबधित रखरखाव कंपनी को देना होगा। कब्जा लेने की तिथि से तीन माह के बाद से रख रखाव शुल्क की देयता होगी।

15.2 आवंटी विद्युत, जलापूर्ति, जल-मल निकासी, इन्ट्रेस्ट फ्री मेन्टनेंस सिक्योरिटी(वन टाइम), इलैक्ट्रिसिटी मीटर चार्जेज, आईजीएल कनेक्शन चार्जेज, डाटा एण्ड वॉयस इक्यिूपमेन्ट चार्जेज एवं सीएएम चार्जेज, हेतु संबधित रख-रखाव कंपनी के पक्ष में निर्धारित प्रभार शुल्क जमा कराकर प्राप्त करना होगा प्रभार शुल्क निम्नवत होंगे।

मद	प्रभार शुल्क
इन्ट्रेस्ट फ्री मेन्टनेंस सिक्योरिटी (वन टाइम)	एलआईजी- ₹9415/- ईडब्लूएस- ₹6728/-
इलैक्ट्रिसिटी मीटर चार्जेज	20,000/- प्रति फ्लैट
आईजीएल कनेक्शन चार्जेज	13,560/- (एक्सक्लूसिव टैक्सेस)
डाटा एण्ड वॉयस इक्यिपमेन्ट चार्जेज	16,000/- प्रति फ्लैट (ऑपशनल)
सीएएम चार्जेज	रख-रखाव अनुबंध के अनुसार
सीवर एण्ड वाटर कनेक्शन चार्जेज	2,000/- प्रति फ्लैट चार्जेज
	*प्रभावी GST अतिरिक्त देय होगा।

15.3 यदि आवंटी निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को रूपये 1000 प्रतिमाह की दर से चौकीदारी, रखरखाव शुल्क कंपनी को देना होगा तथा प्रत्येक वर्ष कोस्ट इंडेक्स के आधार पर इसमें स्वतः बढोतरी की जाती रहेगी।

16.0 भवनो का प्रयोग :

16.1 आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

17.0 अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें :

17.1 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्तों के संशोधन का सर्वाधिकार मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 में निहित होगा जो समस्त आवेदको/आवंटियों को मान्य होंगे।

17.2 योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

17.3 योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।

17.4 किसी भी विवाद की दशा में गाजियाबाद कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। चाहे भले ही आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि/आवेदन पत्र की किसी भी बैंक शाखा में जमा किया गया हो।

कोटा कोड :

क्रम संख्या	वर्ग	कोटा कोड
1.	अनुसूचित जाति	02
2.	अनुसूचित जनजाति	03
3.	अन्य पिछडा वर्ग	04
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी आयु 50 वर्ष से अधिक हो	
(क)	रक्षा कार्मिक	05
(ख)	सरकारी कर्मचारी	06
5. (क)	स्वतन्त्रता सेनानी	08
(ख)	संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	09
6. (क)	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10
(ख)	सिटी बोर्ड कर्मचारी	11
(ग)	उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी	12
(घ)	उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी	13
(ड)	उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14
(च)	उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15
(छ)	आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 के वे कर्मचारी सम्मिलित होगें जिन्होंने कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	16

व्यवसाय कोड :

क्रम संख्या		कोटा कोड
1.	नौकरी	01
2.	व्यवसाय	02
3.	अन्य	03

विकलांगता एवं वरिष्ठता नागरिकता कोड :

क्रम संख्या		कोटा कोड
1.	विकलांगता कोड	01
2.	वरिष्ठता नागरिक कोड	02

आय कोड :

क्रम संख्या		कोटा कोड
1.	दुर्बल आय वर्ग	01
2.	अल्प आय वर्ग	02

APPLICATION FORM

पंजीकरण दिनांक..

आवेदन पत्र संख्या

Form No.

वेव सिटी, गाजियाबाद
WAVE CITY GHAZIABAD
NH-24

गाजियाबाद शहर में उत्तर प्रदेश शासन की हाईटेक नीति के अधीन मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा विकसित हो रही वेव सिटी में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग परिवारों हेतु आवासीय योजना

1. योजना का नाम Scheme Name	: :	दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण Registration for allotment of EWS/LIG House
2. सम्पत्ति श्रेणी Property Category	: :	समूह आवासीय Group Housing

3. नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)

4. संयुक्त नाम (यदि हो)
Joint Name (if any)

5. पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence

6. पिन कोड
Pin Code

7. नामित व्यक्ति का नाम
Nominee Name

8. आयु
Age

9. लिंग
Sex

10. वैवाहिक स्तर
Marital Status

11. कोटा कोड
Quota Code

12. व्यवसाय कोड
Occupation Code

13. विकलांगता/वरिष्ठ कोड
Handicaped/Senior Citizen Code

14. आय कोड
Income Code

15. वार्षिक आय
Annual Income

16. पिता/पति का नाम श्री
Father's/Husband's Name Mr.

17. स्थायी पता
Permanent Address ____

____

____

18. आवेदक का बैंक खाता संख्या
Applicant's Name ____

19. बैंक शाखा का नाम व आईएफएससी कोड
Bank Branch Name & IFSC Code ______________________________________
(कृपया अपने बैंक खाते के निरस्त चैक
की कापी संलग्न करें)

20. आवेदक का दूरभाष नं0 व ईमेल
Applicant's Phone No. & Email ______________________________________

संलग्नक (यदि कोई हो)
Enclosure (If Any)

आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदकों के हस्ताक्षर
Signature of Applicant(s)

पंजीकरण दिनांक...

Form No.
Receipt Property Section Copy

बैंक प्रति
Bank Copy

योजना का नाम : दुर्बल एवं अल्प आर्य वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण
Scheme Name: Registration for allotment of EWS/ LIG Houses.

सम्पत्ति श्रेणी : समूह आवासीय
Property Category : Group Housing

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)______________________________

पिता/पति का नाम श्री
Father's/Husband name Mr.______________________________

पत्र व्यवहार का पता
Address for correspondence____________________

____

____

जमा की गई धनराशि
Amt. deposited ₹______________________________

दिनाक : आवेदक के हस्ताक्षर
Date: Signature of Applicant

____

Received a sum of ₹______________________________

____

DD no.____________ Dated____________________

Drawn on______________________________________

	DD		MM		YY	
Date of receipt						

Seal & signature of the bank

पंजीकरण दिनांक...

Form No.
Receipt Property Section Copy

आवेदक प्रति
Applicant Copy

योजना का नाम : दुर्बल एवं अल्प आर्य वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण
Scheme Name: Registration for allotment of EWS/ LIG Houses.

सम्पत्ति श्रेणी : समूह आवासीय
Property Category : Group Housing

नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)______________________________

पिता/पति का नाम श्री
Father's/Husband name Mr.______________________________

पत्र व्यवहार का पता
Address for correspondence____________________

____

____

जमा की गई धनराशि
Amt. deposited ₹______________________________

दिनाक : आवेदक के हस्ताक्षर
Date: Signature of Applicant

____

Received a sum of ₹______________________________

____

DD no.____________ Dated____________________

Drawn on______________________________________

	DD		MM		YY	
Date of receipt						

Seal & signature of the bank

DECLARATION/ घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों की योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगे।

2. यदि मैं/हम बिक्री के लिए भवन का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करते है तब मैं/हम मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा अल्प/दुर्बल आय वर्ग भवनो की द्वारा नियमो के अधीन की गई कटौतियो को स्वीकार करूंगा/करेंगे।

3. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लॉटरी सिस्टम के द्वारा आवंटित किया गया भवन मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार होगा तथा मुझे/हमे इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

4. मैं/हम सहमत हूँ कि मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद के निपटाने का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद न्यायालय का होगा।

5. बिन्दु 3.1 में दर्षित भवन का मूल्य वास्तविक है प्रभावी जीएसटी का भुगतान करने में मुझे/हमें कोइ आपत्ति नही होगी।

6. आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मेरे संज्ञान में सहीं है। भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसके लिए मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा की गई कार्यवाही मुझे/हमें मान्य होगी।

1. I/ We declare that I/we have read the rules of the EWS/LIG scheme launched by M/s. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

2. If I/we do not accept the allotment of the house for sale, then I/we shall accept the forfeiture/deduction made by M/s. Uppal Chadha Hi-tech Developers pvt. Ltd. under the rules.

3. The house allotted to me through lottery system shall be acceptable to me/us under any circumstances. I/we shall have no objection or dispute of any kind in this regard.

4 I/we agree that in case of dispute between M/s. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Limited and the applicant, the Ghaziabad court will have exclusive jurisdiction.

5. I/we agreed that the cost of house shown in point 3.1 is basic cost and will not have any objection to pay applicable GST as proposed by Government time to time.

6. All declaration filled in the application form are correct in my knowledge. In future if M/s. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd find any information wrong, then I/we accept actions taken by M/s Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd. against me under the rules.

Place:

Date:

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the applicant(s)

Sales Office: Wave City Sales Pavilion, Sardar Kulwant Singh Chadha Marg, NH 24, Uttar Pradesh- 201015

Toll Free: 1800 102 3950 | Rera Website: www.up-rera.in